प्रेसनोट

साइबर सेल, थाना- कोतवाली,झांसी

दिनाँक- 05.02.2026

कृपया अवगत कराना है कि साइबर सम्बन्धी बढ़ते अपराधों के रोकथाम एंव बचाव हेतु श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, साइबर उ०प्र० लखनऊ श्री विनोद के. सिंह के निर्देशानुसार एंव श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक झाँसी, परिक्षेत्र झाँसी श्री आकाश कुलहरि एवं श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम जनपद झॉसी श्रीमती प्रीति सिंह महोदया व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम झाँसी श्री पीयूष कुमार पाण्डेय महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम व बचाव हेतु लोगों, बच्चों, महिलाओं को जागरुक करने के साथ-साथ लोगों के साथ हुई साइबर ठगी में कार्यवाही करते हुए दिनाँक 25.01.2026 को पीड़िता श्रीमती रेखा कुशवाहा पत्नी पवन कुशवाहा, निवासी- बड़ागांव गेट, शंकर सिंह का बगीचा, थाना कोतवाली जनपद- झाँसी के साथ फ्राड कॉल के जरिये OTP के माध्यम से पीड़िता के खाते से 36,228/-रुपये की धनराशि की धोखाधडी हुई थी, जिसके सम्बन्ध मे दिनांक 25.01.2026 को थाना स्थानीय के साईबर सेल के द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गयी थी। साईबर सेल कोतवाली टीम द्वारा त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करते हुये पीड़िता के बैंक स्टेटमेन्ट का अवलोकन व तकनीकी विश्लेषण कर विभिन्न एजेन्सियो/बैंको/वालेट आदि से सम्पर्क कर पीड़िता की सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गयी। जिस पर पीड़िता श्रीमती रेखा कुशवाहा पत्नी पवन कुशवाहा निवासी बड़ागांव गेट शंकर सिंह का बगीचा की कुल धनराशि 36,228/- रुपये जो कि ऑनलाईन फ्रॉड के माध्यम से हुई थी, पीड़िता के खाते में वापस करायी गयी। श्रीमती रेखा कुशवाहा उपरोक्त द्वारा साईबर सेल टीम थाना कोतवाली की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

कल बरामद धनराशि – 36,228/- रुपये

बरामद कराने वाली टीम का विवरण-

1- निरीक्षक श्री विद्यासागर सिहं, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जिला झांसी

2-निरीक्षक श्री राजेश कुमार अवस्थी, साईबर सेल प्रभारी थाना कोतवाली जिला झांसी

3-उ0नि0 अनुराग सिंह, साईबर सेल कोतवाली थाना कोतवाली जिला झांसी

4-का 404 पंकज सिंह, साईबर सेल कोतवाली थाना कोतवाली जिला झांसी

**** साइबर अपराध होने पर तुरन्त 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें ****

नोटः- साइबर अपराध के प्रति जागरुकता ही बचाव है। ऐसी किसी भी फर्जी सोशल मीडिया आईडी के झांसे मे न आये और साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल **1930** पर आनलाइन शिकायत करे अथवा **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत पंजीकृत करें।

साइबर अपराधो से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देशः-

- साइवर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नं0 **1930/112** पर दे, जिससे धनराशि खाते में होल्ड करायी जा सके।
- साइवर अपराध, एनसीसीआरपी पोर्टल की वेवसाइट- **www.cybercrime.gov.in** पर दर्ज करें।
- खाते में **KYC** अपडेट कराने के लिये बैंको द्वारा कभी भी किसी से व्यक्तिगत जानकारी/**OTP/CVV**/पिन नम्बर आदि नही मांगे जाते हैं।
- किसी के कहने पर कोई भी रिमोट एक्सेस एप डाउनलोड न करे।
- किसी भी बेवसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले अच्छी तरह जाँच कर ले।
- ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों व सरकारी विभाग कम्पनियों के कस्टमर केयर का नम्वर आधिकारिक वेवसाइट से ही प्राप्त करें।
- अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात मोवाइल नम्वर द्वारा भेजी गयी लिंक को पर क्लिक न करें।
- सरकारी उपक्रम, वेवसाइट या फण्ड की आधिकारिक वेवसाइट से ही वित्तीय लेनदेन करें।
- किसी से पैसा प्राप्त करते समय अपनी यूपीआई आईडी/पासवर्ड न डाले, पैसा प्राप्त करते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- वॉलेट अपडेट और केवाईसी नजदीकी ऑथराइज्ड सेन्टर पर जाकर ही प्राप्त कराये।
- अपने सोशल एकाउन्ट व बैंक खाते का पासवर्ड स्ट्रांग वनाये, जिसमे नम्वर, अक्षर व चिन्ह तीनों हो, साथ ही टू-स्टेप-वेरीफिकेशन लगाये रखें।